माननीय न्यायालय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्यप्रदेश ग्वालियर कैम्प उज्जैन

प्रकरण क्रमांक 18 द्वितीय अपील – 4372/2018/उज्जैन/स्टांप अधि

1. अनिलसिंह चन्देल पिता श्री शिवप्रतापसिंहजी,
आयु 65 वर्ष, व्यवसाय पत्रकारिता,
निवासी–मकान नं. 14, यंत्रमहल मार्ग, उज्जैन

2. सुभाषचन्द्र अग्रवाल पिता श्री जमनालालजी
आयु 67 वर्ष, व्यवसाय कर सलाहकार
निवासी–मकान नं. 3, अर्जुन नगर, उज्जैन

3. महेश कानड़ी पिता श्री भैरूलालजी कानड़ी
आयु 64 वर्ष, व्यवसाय कृषि एवम् व्यापार,
निवासी–मकान नं. 1, अर्जुन नगर, उज्जैन

.......अपीलार्थीगण

--विरुद्ध--

1– म0प्र0 शासन,
द्वारा–उपपंजीयक कार्यालय
भरतपूरी उज्जैन

2– शरदकुमार पिता स्व. श्री कन्हैयालाल,
निवासी–4/5, पानदरीबा, उज्जैन तहसील व जिला
उज्जैन

..............प्रत्यर्थीगण

विषय– न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा प्रकरण क्रमांक 792/2017–18 अपील में पारित आदेश दिनांक 03–05–2018 द्वारा न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टाम्पस् जिला उज्जैन द्वारा प्रकरण क्रमांक 44/बी–105/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 26–10–2016 के विरुद्ध अपील अन्तर्गत धारा 47 (6) भारतीय मुद्रांक अधिनियम के अन्तर्गत द्वितीय अपील

माननीय महोदय,

अपीलार्थीगण द्वारा निम्नलिखित अपील सादर प्रस्तुत करते है :–

1 क :– अपीलार्थीगण का पूरा नाम पिता का नाम तथा व्यवसाय :–

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - अपील-4372/2018/उज्जैन/स्टा0 अधि0

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20.9.18	प्रकरण का अवलोकन किया यह अपील अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 792/2017-18/अपील में पारित आदेश दिनांक 3-5-18 के विरूद्ध भारतीय मुद्रांक अधिनियम (जिसे आगे मुद्रांक अधिनियम कहा जाएगा) की धारा-47 (6) के तहत पेश की गई है। 2/ अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर यह तर्क दिया गया कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिए बिना एकपक्षीय आदेश पारित किया गया जिसकी जानकारी उन्हें वसूली का सूचनापत्र जनवरी के द्वितीय सप्ताह में प्राप्त होने पर हुई जिसके आधार पर उन्होंने तत्काल आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु दिनांक 25-1-18 को आवेदन दिया जिस पर से उन्हें 24-3-19 को आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त हुई प्रति प्राप्त होते ही उन्होंने दिनांक 26-3-17 को अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की जिसे अपर आयुक्त ने अवधि बाह्य मानकर निरस्त करने में त्रुटि की गई है । अपने तर्कों के समर्थन में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्यायदृष्टांत 2005 आर0एन0 348 (उच्च न्यायालय) का हवाला दिया गया । इस न्यायदृष्टांत में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि - "स्टाम्प अधिनियम,1899 धारा 47क(4) तथा 47 क(6) -- म0प्र0 लिखतों का न्यून मूल्यांकन निवारण नियम, 1975 नि0 7 तथा 15(घ) - अपील-परिसीमा का आरंभ बिंदु- आदेश काउन्सेल की उपस्थिति में पारित किया गया किंतु नियमों के अधीन विहित रूप में संसूचित नहीं किया गया - परिसीमा का आरंभ बिंदु यह दिनांक होगा जिस पर अपीलार्थी ने आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त की है, न कि	

अपील 4372/2018/उज्जैन/स्टा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

आदेश का दिनांक ।"

3/ अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं उद्धरित न्यायदृष्टांत का अवलोकन किया एवं अपर आयुक्त के आदेश का परिशीलन किया । अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा आदेश की संसूचना अपीलार्थी को दी गई है । मात्र दिन प्रतिदिन के विलंब का कारण प्रस्तुत करने के आधार पर अपील को अवधि बाह्य मानते हुए आदेश पारित किया गया है जबकि अपीलार्थी ने अवधि विधान के आवेदन में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिए बिना एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है गया जिसकी जानकारी उन्हें वसूली का सूचनापत्र जनवरी के द्वितीय सप्ताह में प्राप्त होने पर हुई । पुष्टि में उन्होंने शपथपत्र भी पेश किया है । प्रकरण के तथ्यों एवं अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धरित माननीय उच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत के प्रकाश में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य प्रतीत नहीं होता है । अतः अपर आयुक्त का आलोच्य आदेश निरस्त किया जाकर उनके समक्ष प्रस्तुत अपील समयावधि में मान्य की जाती है तथा प्रकरण उन्हें गुणदोष पर विधिवत निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

उभयपक्ष सूचित हों ।

प्रशासकीय सदस्य